

संगठन के प्रमुख के पुराना पत्र का संवाधन किया जाये किसे।  
अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नहीं। पूर्व सन्दर्भ यदि हो तो,  
देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी।

दूरभाष : 2527532  
तार : युनिवर्सिटी  
फैक्स : 0731-529540



## देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन  
इन्दौर - 452 001

कं. शैक्षणिक/सम्बद्धता/13/ 674  
प्रेषक,

दिनांक 09 MAY 2013

कुलसचिव,  
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,  
इन्दौर

प्रति,

प्राचार्य/संचालक,  
इन्डेक्स इंस्टिट्यूट ऑफ डेंटल साइसेंस,  
नेमावर रोड, ग्राम मौरोद हाट,  
इन्दौर (म. प्र.)

**विषय : सम्बद्धता संबंधी आपका आवेदन**

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके आवेदन दिनांक 26.12.12 स्थायी समिति की बैठक  
दिनांक 01.05.2013 तथा कार्य परिषद की बैठक दिनांक 02.05.2013 में निम्नानुसार निर्णय लिया  
गया है :-


अ.क.	पाठ्यक्रम/विषय	सत्र	निर्णय
1	बी.डी.एस. - प्रथमवर्ष	2012-13	100 छात्रों के प्रवेश हेतु अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

शर्तें -

प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्तियों कॉलेज कोड 28 में डी.सी.आई. के मापदण्डों के अनुसार तीन माह में की जावे।

- विशेष : (i) सत्र 2012-13 में सशर्त अस्थायी सम्बद्धता/नवीनीकरण/सीट संख्या वृद्धि की अनुशंसा की जाती है। किन्तु सत्र 2013-14 में उक्त पाठ्यक्रमों के प्रथमवर्ष में छात्रों को प्रवेश, उपरोक्त शर्तों की पूर्ति करने पर एवं विश्वविद्यालय की सम्बद्धता प्राप्त होने के उपरांत ही दिये जावे।
- (ii) सभी शर्तों का पालन वांछित समयावधि में सुनिश्चित करें। प्राचार्य/शिक्षकों/अन्य अकित स्टाफ की नियुक्ति कॉलेज कोड 28 के अंतर्गत तीन माह में की जाए अन्यथा आगामी सत्र से नवीनीकरण/अस्थायी सम्बद्धता प्रदान नहीं की जाएगी। भविष्य में सम्बद्धता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन नहीं किया जाता है अथवा मुख्य रूप से शिक्षकों की नियुक्तियों नहीं की जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में आगामी सत्र में महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाए। यदि फिर भी महाविद्यालय द्वारा आगामी सत्र 2013-14 के प्रारंभ में विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है, तो उसका उत्तरदायित्व स्वयं महाविद्यालय का होगा। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय किसी भी रूप में इस हेतु जवाबदार नहीं होगा।
- (v) विश्वविद्यालय परिनियम कं. 27 एवं 28 का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जावे।
- (vi) डी.सी.आई. नई दिल्ली के मापदण्डों का पूर्ण पालन किया जावे।

भवदीय

  
कुलसचिव

दिनांक .....

पृष्ठांकन शैक्षणिक/सम्बद्धता/13/

प्रतिलिपि :- उप-कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय/प्रशासन/शैक्षणिक विभाग एवं निदेशक,  
महाविद्यालयीन विकास परिषद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

2. रिकार्ड नस्ती।

उप-कुलसचिव(शैक्ष)